हिन्दुस्तान दिनांक-03-09-14

अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करने के लिए 30 हजार

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य में वर्ष 2004 के पूर्व अधूरे पड़े इंदिरा आवासों को पूरा कराने के लिए प्रति आवास 30 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभुकों को यह सहायता राशि दी जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने यह जानकारी मंगलवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि यह योजना पूरी तरह राज्य प्रायोजित है। निधि की उपलब्धता व जिलों की आवश्यकता के अनुरूप राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत खर्च की गई राशि का लेखा संधारण व बैंक खाता सामान्य इंदिरा आवास से अलग रखा गया है।

श्री मिश्र ने बताया कि 30 हजार का अनुदान, अनुसूचित जाति-जनजाति के वैसे लाभुकों को दिया जाएगा, जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है। वर्तमान में स्थायी सरकारी सेवक नहीं हों और वर्ष 2004 तक लिंटर स्तर तक का आवास बन गया हो। अनुदान राशि देने के पूर्व इन लाभुकों का भी बैंक खाता खोला जाएगा।